

8/1/24

पत्रावली काक पेक्षा हुरी। कमील खाकी
दुपरिमत। विद्यार्थीकण कुरुपरिमत। विद्यार्थीकण
को कोटि समय में तीळ कार तीळ
तीळ कावाके दिल्यात गरी। कावाके
कावाके दिल्यात के विद्यार्थीकण

Rash
रघुवन्त अचिन्तनी, मुंबईमालानी

तारीख
हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज

न्यायालय

ग संख्या : 11
1288

अनुसंधान मय विद्यार्थी के विरुद्ध
एक तरफ कार्यवाही की जाती है।
कमल छात्री के पत्रवली पर एक
सुनी कौशिक मल्ल के विवाह
जाकर सुनने न्यायालय सुनाने
गया। कौशिक की पालना की तहरीर
जाती है। पालना प्राप्त होने पर
शामिक पत्रवली की जाये। पत्रवली
विषय सुनार होकर शामिल उपर
है।


न्यायालय इलाहाबाद, मुद्रामाला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या : 182/2023

प्रार्थीगण :-

1. पदमाराम पुत्र विशनाराम
जाति जाट निवासी छोदू तहसील नोखड़ा, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. चेनाराम पुत्र विशनाराम
2. वालीदेवी पत्नी पूनमाराम
3. भूराराम पुत्र राजूराम
4. रामूराम पुत्र राजूराम
जाति जाट निवासी छोदू तहसील नौखड़ा
5. खुमाराम पुत्र राजूराम जाट
6. धर्मेन्द्र किशोर पुत्र चुतराराम मेगवाल
निवासी झरडासर तहसील नौखड़ा
7. थानाराम पुत्र कानाराम
8. जेठाराम पुत्र कानाराम
जाति जाट निवासी सारणनगर (नगर) तहसील गुडामालानी
9. सरपंच ग्राम पंचायत छोदू तहसील नौखड़ा
10. तहसीलदार नोखड़ा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. श्री भाखराराम गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थीगण - एकतरफा

--: आदेश :-

दिनांक :- 08.01.2024


प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपटित धारा 128 रा. भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरुद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री भाखराराम गोदारा की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा झरडासर के खेत खसरा नम्बर 425/2, 428/2 रकबा कमशः 3.0756, 6.0136 हैक्टेयर कुल रकबा 9. 0892 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माटे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ोसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने

में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोखड़ा को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा झरडासर के खेत खसरा नम्बर 425/2, 428/2 रकबा क्रमशः 3.0756, 6.0136 हैक्टेयर कुल रकबा 9.0892 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक, नोखड़ा को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नोखड़ा को थानाधिकारी पुलिस थाना आर.जी. टी. नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार नोखड़ा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 08.11.24..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।


(रामजी भाई केलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी